संख्या:141/2026/888/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 18 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना स्वीकृति कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-72/2026/545/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत योजनान्तर्गत जनपद-सीतापुर में 69 कार्यों की रू. 4679.81 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.1169.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन 69 कार्यों की कार्यदायी संस्था उनके सम्मुख शासनादेश में इंगित है। एतदद्वारा उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-40 से 45 पर इंगित कार्यों की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों का शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 में इंगित विवरण निम्नवत है:-

शासनादेश दिं. 30.03.2026 का क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
40	सामुदायिक केन्द्र ग्राम ढखेरा विकास खण्ड लहरपुर का निर्माण कार्य।	-	75.76	19.00
41	विकास खण्ड बेहटा में लहरपुर-भदफर मार्ग से विलायतपुर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	1050	121.27	30.00
42	विकास खण्ड हरगाव में लहरपुर-लखीमपुर मार्ग से ओझियापुर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	1009	93.77	23.00
43	विकास खण्ड लहरपुर में ताहपुर पेंटेड कल्लू की दुकान से दयालनाथ बाबा मन्दिर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	650	60.28	15.00
44	विकास खण्ड हरगाव मे ग्राम मदनापुर से कबीरपुर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	935	78.16	20.00
45	विकास खण्ड-हरगाव के ग्राम विशुनूपुर प्रा0वि0 से पेन्टेड रोड तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	815	70.78	18.00
	योग:	4459	500.02	125.00

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या:141/2026/888(1)/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/पंचायती राज/ नगर विकास विभाग।

4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।

6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।

7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मंडल ।

8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।

9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

10- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।

11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।

12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।

14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीतापुर।

15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीतापुर।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।